संख्या-114/2026/I/1459095/2026/71-1002(002)/15/2025

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर में फायर सेफ्टी का कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2026-27/186, दिनांक 27.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर में फायर सेफ्टी का कार्य हेतु परियोजना की मूल्यांकित टेण्डर कास्ट रू0 162.01 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-173/2025/I/1190672 /2025/71-1002(002)/14/2025, दिनांक 31.12.2025 कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर में फायर सेफ्टी का कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 166.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर में फायर सेफ्टी का कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 31.12.2025 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 166.25 लाख को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/15, दिनांक 17.05.2023 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में **टेण्डर लागत के अनुसार रू0 162.01 लाख (रू0 एक करोड़ बासठ लाख एक हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/15, दिनांक 17.05.2023 सपठित शासनादेश संख्या-5/2026/ए-2-आई/1365672/2026, दिनांक 18.06.2026 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. यदि प्रश्नगत परियोजना में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर/कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।
6. शासनादेश संख्या-173/2025/I/1190672/2025/71-1002(002)/14/2025, दिनांक 31.12.2025 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।